बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार पटना
(पशुपालन विभाग)
कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ

<u>निविदा सूचना</u>

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/एम्बुलेटरी भान के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न कम्पनी/प्राधिकृत आपूर्तिकर्त्ता/फर्मा से वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में प्राप्त आवंटन/प्राप्त होने वाले आवंटन के अनुमानित लागत पर मशीन एवं उपस्कर आदि क्रय हेतु दर निर्धारण हेतु द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर निविदा प्रकाशन के तिथि से 21 (इक्कीस) वें दिन के अपराह्न 5:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। सीलबंद लिफाफा के ऊपर ''तकनिकी निविदा'' तथा ''वित्तीय निविदा'' अंकित कर दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफा में सीलबंद कर एवं निविदा अंकित कर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/कुरियर द्वारा निर्धारित तिथि तथा समय तक जिला पशुपालन कार्यालय पूर्णियाँ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के अगले दिन कार्य दिवस को 11:30 बजे पूर्वाहन में जिला स्तर पर गठित तकनिकी निविदा समिति के समक्ष निविदा खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थित नहीं होने पर कय समिति अपने विवेकानुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। तकनिकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा को समिति एवं उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। **निविदा की विस्तृत शर्तें तथा क्रय किये जाने वाले मशीन एवं उपस्करों की सूची को विभागीय बेवसाइट www. Ahd.bih.nic.in पर** अथवा जिला पशुपालन कार्यालय पूर्णियाँ के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी
पूर्णियाँ
दूरभाष सं0 – 06454–242794

<u>पशुपालन विभाग</u>

कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ।

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पशु चिकित्सालयों/औषधालयों/एम्बुलेट्रटी भान के सुदृढीकरण के लिए मशीन एवं उपस्कर के क्रय हेतु प्रकाशित तकनिकी एवं वित्तीय निविदा शर्तें।

(क) <u>तकनिकी निविदा भाग :–</u>

1. मशीन एवं उपस्कर आदि के दर तथा आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण सीलबन्द द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर किया जायेगा। अलग–अलग सीलबन्द लिफाफा में "तकनिकी निविदा" तथा "वित्तीय निविदा" मशीन एवं उपस्कर अंकित कर उन्हें एक दूसरे बड़े सीलबन्द लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर जिला पशुपालन पदाधिकारी पूर्णियाँ मशीन एवं उपस्कर हेतु निविदा अंकित होना चाहिए।
2. निविदा स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/कुरियर द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के तिथि से 21 (इक्कीस) वें दिन के 5:00 बजे अपराह्न तक जिला पशुपालन कार्यालय पूर्णियाँ में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. **तकनिकी निविदा में निम्नांकित स्वअभिप्रमाणित कागजात संलग्न होना चाहिए।**
   (क) G.M.P / W.H.O प्रमाण–पत्र।
   (ख) I.S.O / I.S.I प्रमाण–पत्र।
   (ग) विगत तीन वर्ष का आयकर रिर्टन।
   (घ) नन कनभिक्शन प्रमाण पत्र।
   (ड़) ऑडिटेड बैलेंस सीट अद्यतन।
   (च) वाणिज्य कर चूकता प्रमाण पत्र।
   (छ) पैन कार्ड की प्रति।
   (ज) विगत तीन वर्ष का वार्षिक टर्न ऑवर की प्रति।
   (झ) निर्माता कम्पनी के द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र की प्रति।
   (ञ) निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति।
4. **तकनिकी निविदा में निम्नांकित मूल शपथ–पत्र संलग्न होना चाहिए।**
   (क) निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता में से कोई भी किसी सरकारी अथवा अर्धसरकारी संस्थान द्वारा बिहार अथवा अन्य राज्यों में काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ–पत्र।
   (ख) निविदा के सभी शर्तें मान्य होने का शपथ–पत्र।
   (ग) बिहार के अन्य जिलों में उनके द्वारा प्रस्तुत दर एक समान होने का शपथ–पत्र।
5. सामग्री का नमुना तकनिकी निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा।
6. अग्रधन के रूप में जिला पशुपालन पदाधिकारी पूर्णियाँ के पदनाम नाम से मो0– 10,000.00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। किसी अन्य रूप में अग्रधन की राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. आपूर्त्ति आदेश देने के पश्चात सभी सामग्रियों को विलम्बतः 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर आपूर्त्ति जिला पशुपालन कार्यालय, पूर्णियाँ में करना होगा, जिसके लिए किसी अन्य प्रकार का राशि देय नहीं होगा।
8. असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता के अग्रधन की राशि उनके द्वारा संतोषजनक सामग्री आपूर्त्ति तक रोक रखी जायेगी। अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद देय नहीं होगा।

9. सामान प्राप्ति के पश्चात एवं विभाग से प्राप्त आवंटन के विरूद्द राशि की निकासी होने के पश्चात भुगतान किया जायेगा। किसी कारण से भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में अलग से अन्य किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं रहेगा।
10. इस निविदा द्वारा निर्धारित दर तथा आपूर्तिकर्त्ता वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 तक मान्य होंगे। इस बीच विभाग द्वारा संसूचित किसी आयटम का निर्धारण दर से कम होगा तो उस आयटम का निर्धारण दर तथा आपूर्तिकर्त्ता स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।
11. विगत तीन वर्षों का न्युनतम वार्षिक टर्न ऑवर 10 (दस) लाख रूपये प्रति वर्ष होना चाहिए।
12. निविदा अनुमोदित होने के पश्चात मशीन/उपस्कर का भौतिक सत्यापन होने के पश्चात ही क्रयादेश निर्गत किया जायेगा।
13. आपूर्तिकर्त्ता से भुगतान के समय ही श्रोतों से वैट (VAT) की राशि की कटौती कर लिया जायेगा। वैट से छूट प्राप्त करने के लिए निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा वाणिज्य कर विभाग/सक्षम प्राधिकार से इस निविदा के संदर्भ में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा **(C3 Form)** की उनके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों का अग्रिम वैट का भुगतान कर दिया गया है तथा उन्हें इस मामले में वैट का भुगतान नहीं किया जाना है।
14. आपूर्ति किये जाने वाले मशीन/उपस्कर के Specification, Manufacturing Company तथा उनके निबंधन का पूर्ण विवरण होना आवश्यक है।
15. User and Installation का पूर्व के संस्थान का प्रमाण–पत्र होना आवश्यक होगा।
16. निविदा समर्पित करने के लिए प्रत्येक निविदा का अलग–अलग व्यक्ति प्राधिकृत होंगे। एक व्यक्ति एक से अधिक निविदा समर्पित करने के लिए प्राधिकृत नहीं हो सकता है, ऐसा होने पर निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
17. निर्धारित दर पर पूरी मात्रा में सामग्रियों की आपूर्ति नहीं कर पाने अथवा एक से अधिक निविदादाता के द्वारा सामान्य न्यूनतम दर की स्थिति में विभिन्न आपूर्तिकर्त्ता के बीच आपूर्ति आदेश विभक्त कर दिया जा सकता है ।
18. प्रकाशित निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बिना पूर्व सूचना के जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ के द्वारा रद्द/संसोधित किया जा सकता है तथा निविदादाता से मूल्य, गुणवक्ता एवं अन्य बिन्दुओं पर निगोसियेट करके निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
19. किसी प्रकार का वैधानिक मामला पूर्णियाँ जिले के क्षेत्राधीन होगा।

(ख) वित्तीय भाग

1. प्रत्येक समग्री के निर्माता का नाम, आपूर्त्ति दर, वैट और कुल दर अंकित होना चाहिए।
2. आपूर्त्ति दर के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार (परिवहन/डाउनलोडिंग) का राशि देय नहीं होगा।
3. सामानों का गारंटी/वारंटी से संबंधित कागजात संलग्न होना चाहिए।

जिला पशुपालन पदाधिकारी
पूर्णियाँ

List Of Equipments/ Instruments

1	Castrator – Big 19"	16	Basin Stand
2	Balance with weight	17	Gum Boot
3	Speculum large	18	Casting Rope (Cotton)
4	Vaccine Carrier with ice pack	19	Vaccine Box 23 Lit. With ice pack
5	Stove Brass	20	Dressing Forceps – 8"&10"
6	B.P. Handle No-3&4	21	Apron – Plastic/ cloth
7	B.P. Blade – Curved	22	Scalpel - Straight
8	B.P. Blade – Straight	23	Scalpel - Curved
9	Amputation Saw	24	Centrifuge machine manual
10	Freeze 220 Lit	25	Sterilizer Drum
11	Clinical Thermometer	26	Incubator
12	Artery Forceps 6"&8" Straight	27	Glass Slide with Cover slip
13	Artery Forceps 6"&8" Curved	28	Suturing needle - Curved
14	Scissor 6"&8" Straight	29	Suturing needle - Straight
15	Scissor 6"&8" Curved		

नोटः– साईज के हिसाब से दर अलग–अलग अंकित किया जायेगा।

जिला पशुपालन पदाधिकारी
पूर्णियाँ